Regd. No. CHD/0093/2015–2017

Haryana Government Gazette

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 22-2016] चण्डीगढ़, मंगलवार, दिनांक 31 मई, 2016
(10 ज्येष्ठ, 1938 शक)

विधायी परिशिष्ट

क्रमांक	विषय वस्तु	पृष्ठ
भाग–I	**अधिनियम**	
	कुछ नहीं	
भाग–II	**अध्यादेश**	
	कुछ नहीं	
भाग–III	**प्रत्यायोजित विधान**	
	अधिसूचना संख्या का0आ0 13/ह0अ023/1961/धा043/2016, दिनांक 23 मई, 2016– पंजाब कृषि उपज मंडी (सामान्य) संशोधन नियम, 2016. (प्राधिकृत अंग्रेजी अनुवाद सहित)	127–162
भाग–IV	**शुद्धि पर्ची, पुनः प्रकाशन तथा प्रतिस्थापन**	
	कुछ नहीं	

Price : Rs. 5.00

भाग-III

हरियाणा सरकार

कृषि विभाग

अधिसूचना

दिनांक 23 मई, 2016

संख्या का. आ. 13/ह.अ. 23/1961/धा. 43/2016.—हरियाणा कृषि उपज मंडी अधिनियम, 1961 (1961 का पंजाब अधिनियम 23), की धारा 43 की उपधारा (2) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, पंजाब कृषि उपज मंडी (सामान्य) नियम, 1962, हरियाणा राज्यार्थ, को आगे संशोधित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते है, अर्थात् :—

1. ये नियम पंजाब कृषि उपज मंडी (सामान्य) संशोधन नियम, 2016 कहे जा सकते हैं।

2. पंजाब कृषि उपज मंडी (सामान्य) नियम, 1962 (जिन्हें, इसमें, इसके बाद, उक्त नियम कहा गया है) में, ''पंजाब'' शब्द दीर्घ शीर्ष, संक्षिप्त नाम तथा जहाँ कभी भी आये, के स्थान पर ''हरियाणा'' शब्द प्रतिस्थापित किया जाएगा।

3. उक्त नियमों में, नियम 2 में, —

(i) खण्ड (6) के बाद, निम्नलिखित खण्ड रखा जाएगा, अर्थात् :—

''(6क) 'किसान उत्पादक संगठन' से अभिप्राय है, किसान सदस्यों की उपज के समुच्चयकर्ता की भूमिका का अभिनय करने वाला रजिस्टर्ड किसान उत्पादक संगठन जो कृषि उत्पादन में लगे अधिसूचित मंडी क्षेत्र के निवासी हैं ; '' ;

(ii) उपखण्ड (12) के बाद, निम्नलिखित खण्ड रखा जाएगा, अर्थात् :—

''12(क) 'परिसर' से अभिप्राय हैं, मुख्य मण्डी प्रांगण/उप मण्डी प्रांगण में सामान्य प्लैटफार्म के सामने कृषि उपज के प्रदर्शन के लिए खुले स्थान सहित स्वतन्त्र भूतल दुकान ; '' ;

(iii) खण्ड (15) में, ''और'' शब्द का लोप कर दिया जाएगा ;

(iv) खण्ड 16 में, अन्त में आने वाला ''। '' चिह्न के स्थान पर, '' ; '' चिह्न प्रतिस्थापित किया जाएगा ;

(v) खण्ड 16 के बाद, निम्नलिखित खण्ड जोड़े जाएंगे ,अर्थात् :—

''(17) 'व्यापारी' से अभिप्राय है, कोई व्यक्ति जो अधिसूचित कृषि उपज में व्यापार करता है;

(18) ''थोक व्यवहारी'' से अभिप्राय है, कोई व्यापारी जो मंडी में विक्रेता से कृषि उपज अधिकांश मात्रा में क्रय करता है तथा परचूनियों को बेचता है । ''।

4. उक्त नियमों में, नियम 16 क में, —

(i) उप नियम (1) के बाद, निम्नलिखित उप नियम रखा जाएगा, अर्थात् :—

''(1क) संविदा कृषि प्रायोजक किसी कृषि उपज, निष्कर्षण/उत्पादन की कृषि के लिए कोई करार नहीं करता है जिसको तत्समय प्रवृत राज्य या भारत संघ की किसी विधि के अधीन प्रतिषिद्ध किया गया है।'' ;

(ii) उप—नियम (6) के स्थान पर, निम्नलिखित उप—नियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

''(6) संविदा कृषि प्रायोजक तथा संविदा कृषि उत्पादक के बीच संविदा कृषि करार प्ररूप ग—1 में होगा तथा इसे दोनों पक्षों की उपस्थिति में सम्बन्धित जिला विपणन प्रवर्तन अधिकारी के पास रजिस्टर्ड करवाया जाएगा। सहमत दर/संविदा दर पूर्व वर्ष के न्यूनतम समर्थन कीमत से कम नहीं होगी । क्रेता प्रतिभूति के रूप में समिति जिसमें भूमि स्थित है, में राशि के लिए सहमत दर या न्यूनतम समर्थन कीमत; यदि दर पर सहमत नहीं हैं) या बैंक गारन्टी कृषि उपज की कुल कीमत के पांच प्रतिशत के बराबर राशि जमा करेगा । जहां कहीं कोई न्यूनतम समर्थन कीमत नहीं है तथा कोई भी सहमत दर नहीं है, तो प्रतिभूति की राशि करार के समय पर प्रचलित बाजार दर के पांच प्रतिशत की दर पर संगणित की जाएगी। प्रतिभूति अथवा बैंक गारन्टी करार के संतोषजनक निष्पादन की तिथि के बाद तीस दिन की अवधि के भीतर निर्मुक्त की जाएगी । सम्बन्धित जिला विपणन प्रवर्तन अधिकारी तीस दिन के भीतर आदेश पारित करेगा और प्रायोजक को संसूचित करेगा। यदि तीस दिन के भीतर आदेश पारित नही किए जाते तो वह इसके कारण अभिलिखित करेगा। संविदा कृषि

प्रायोजक संविदा कृषि की फसलों के लिए पर्याप्त बीमा व्यवस्था मुहैया करवाएगा। बीमा किस्त की लागत संविदा कृषि प्रायोजक और किसान द्वारा 60 : 40 के अनुपात में वहन की जाएगी। '' ।

5. उक्त नियमों में, नियम 17 के स्थान पर, निम्नलिखित नियम प्रतिस्थापित किये जाएंगे, अर्थात् :–

''17. व्यवहारी का लाईसैंस – (1) उप नियम (2) में यथा तालिकाबद्ध प्रवर्ग के लिए धारा 10 के अधीन लाईसैंस प्राप्त करने का इच्छुक कोई व्यक्ति जिसकी अधिकारिता में वह अपना कारबार चलाना चाहता है, सचिव के माध्यम से मुख्य प्रशासक या इस निमित्त लिखित में उस द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी को दोहरी प्रति में प्ररूप 'क' में आवेदन करेगा तथा सम्बन्धित मंडी समिति में ''मंडी समिति निधि'' के पक्ष में अपेक्षित लाईसैंस फीस/लाईसैंस की नवीकरण फीस तथा प्रतिभूति नकद में या बैंक डिमांड ड्राफ्ट या बैंक पे आर्डर या पोस्टल आर्डर द्वारा ऐसी मंडी समिति में जमा भी करेगा :

परन्तु यदि ,—

(i) लाईसैंस धारी एक जिले में पड़ने वाली एक से अधिक मंडी समिति में कारबार करने का इच्छुक है, तो वह आवेदन सम्बन्धित जिला विपणन प्रवर्तन अधिकारी को प्रस्तुत करेगा ;

(ii) लाईसैंसधारी एक जोन में पड़ने वाली एक से अधिक मंडी समिति में कारबार करने का इच्छुक है, तो वह सम्बन्धित आंचलिक विपणन प्रवर्तन अधिकारी को आवेदनपत्र प्रस्तुत करेगा ; और

(iii) लाईसैंसधारी एक जोन से अधिक में पड़ने वाली एक से अधिक मण्डी समितियों में या सम्पूर्ण राज्य में कारबार करने का इच्छुक है, तो आवेदन ''विपणन विकास निधि'' के पक्ष में डिमाण्ड ड्राफ्ट/पे आर्डर के रूप में लाईसैंस फीस/नवीकरण फीस तथा प्रतिभूति सहित मुख्य प्रशासक को प्रस्तुत करेगा :

परन्तु यह और कि एक लाईसैंस एक से अधिक मण्डी प्रांगण में संचालित करता है, तो कारबार परिसर के रूप में लाईसैंसधारी को हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड (अचल सम्पत्ति की बिक्री) नियम, 2000 के उपबन्धों के अनुसार कारबार के मुख्य स्थान को ध्यान में रखते हुए दुकान प्लॉट अधिमानी आबंटन के लिए विचारा जाएगा :

परन्तु यह और कि कोई भी कच्चे आढ़तिए का लाईसैंसधारी, इस आधार पर कि उसके पास एक से अधिक मंडी प्रागंण में लाइसैंस है अथवा एक से अधिक मण्डी प्रांगण में कार्य करने का लाईसैंस है, सम्पूर्ण राज्य में आरक्षित कीमत पर एक से अधिक दुकान प्लॉट के आबंटन के लिए पात्र नहीं होगा ।

(2) इस नियम के अधीन जारी लाईसैंस के लिए लाईसैंस फीस/ लाईसैंस की नवीकरण फीस, प्रतिभूति या बैंक गारंटी, यदि कोई हो, निम्न अनुसार होगी :–

लाईसैंस का प्रवर्ग	प्रति वर्ष लाईसैंस फीस /नवीकरण फीस	प्रति तिमाही लाईसैंस फीस या उसका भाग	प्रतिभूति	बैंक गारंटी
(i)(क) 2.00 करोड़ रुपए या अधिक के वार्षिक टर्नओवर रखने वाले कृषि उपज के विक्रय, व्यापारी/ थोक व्यवहारी, कारखाना जिसमें क्रय, भण्डारण, पैकेजिंग, छटाई, ग्रेडिंग, ओटाई कारखाना, शैलर, आटा मिल, ऑयल, एक्सपेलर, दालमिल या प्रशीतन के लिए शीतागार शामिल है।	सम्पूर्ण राज्य के लिए 10,000/– या प्रतिजोन 2500/– या एक मंडी समिति के लिए 1,000/– रुपए ।	सम्पूर्ण राज्य के लिए 2500/–या प्रतिजोन 625/–रुपए या एक मंडी समिति के लिए 250/– रुपए।	शून्य	सम्पूर्ण राज्य के लिए 10.00 लाख रुपये या जोन के लिए 2.50 लाख रुपये या एक मंडी समिति के लिए 1.00 लाख रुपए।
(ख) जिसका वार्षिक टर्नओवर 12.00 लाख रुपए है किन्तु 2.00 करोड़ रुपये से अधिक नही है। व्यापारी/ थोक व्यवहारी, कारखाना जिसमें कृषि उपज के विक्रय, क्रय, भण्डारण, पैकेजिंग, छटाई, ग्रेडिंग, ओटाई कारखाना, शैलर, आटा मिल, तेल	सम्पूर्ण राज्य के लिए 10,000 रुपए या प्रतिजोन 2500/– रुपए या प्रति मंडी समिति 1000/– रुपए ।	सम्पूर्ण राज्य के लिए 2500/–या प्रतिजोन 625/– रुपए या प्रति मंडी समिति 250/– रुपए ।	सम्पूर्ण राज्य के लिए 50,000/– रुपए या प्रतिजोन के लिए 12,500/ रुपए या एक मंडी समिति के लिए 5000/–रुपए।	शून्य

एक्सपेलर, दालमिल या प्रशीतन के लिए शीतागार शामिल है।				
(ii) कृषि उपज के विक्रय ,क्रय या भण्डारण के लिए कमीशन एजैंट या कच्चा आढ़तियां ।	600/–रुपए	150/–रुपए	3000/–रुपए	शून्य
(iii) अन्य व्यवहारियों जिसकी कृषि उपज की वार्षिक टर्नओवर दो लाख रुपए से अधिक है किन्तु बारह लाख रुपए से अधिक नहीं है ।	200/–रुपए	50/–रुपए	1000/–रुपए	शून्य

(3) लाईसैंस अधिकतम तीन वर्ष की अवधि के लिए दिया जाएगा / नवीकृत किया जाएगा, जो जारी करने की तिथि से आगामी मार्च के 31वें दिन को समाप्त होगी ।

(4) समिति का सचिव या सम्बन्धित जिला विपणन प्रवर्तन अधिकारी या आंचलिक विपणन प्रवर्तन अधिकारी, जैसी भी स्थिति हो, प्ररूप 'क' पर आवेदन की प्राप्ति पर, मुख्य प्रशासक या उस द्वारा इस निमित्त लिखित में, प्राधिकृत किन्हीं अन्य व्यक्तियों को आवेदन के प्रत्यय–पत्र का सत्यापन करने के बाद तीन दिन में, मामला भेजेगा तथा वह प्ररुप ख में लाईसैंस अस्वीकार कर सकता है या प्रदान कर सकता है । लाईसैंस उसमें वर्णित शर्तों के अध्यधीन होगा।

(5) इस नियम के अधीन जारी लाईसैंस का रिकार्ड प्ररूप 'ग' में उपनियम (1) में यथा विनिर्दिष्ट सम्बन्धित प्राधिकारी द्वारा अनुरक्षित किया जाएगा ।

(6) प्रतिभूति या बैंक गारंटी, सम्पूर्ण राज्य या एक मंडी समिति से अधिक के लिए जारी लाईसैंस की दशा में सम्बद्ध आंचलिक विपणन प्रवर्तन अधिकारी द्वारा या विशेष मंडी समिति के लिए लाईसैंस की दशा में सम्बद्ध द्वारा जारी समाशोधन प्रमाणपत्र की प्रस्तुति पर, कारबार की समाप्ति की तिथि से तीन मास के बाद जारी (रिलिज) की जाएगी।

(7) लाईसैंसधारी परिवर्तित प्रवर्ग के लाईसैंस के लिए सम्बन्धित लाईसैंस फीस, प्रतिभूति या बैंक गारंटी का भुगतान करते हुए किसी समय पर लाईसैंस के प्रवर्ग के परिवर्तन के लिए आवेदन कर सकता है।

17क. स्थल विनिमय के लिए लाईसैन्स .– (1) धारा 8 ग के अधीन लाईसैन्स प्राप्त करने का इच्छुक व्यक्ति मुख्य प्रशासक या इस निमित्त लिखित में उस द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य व्यक्ति को प्ररूप क 1 (क) में, ''विपणन विकास निधि'' के पक्ष में बैंक गारंटी सहित डिमांड ड्राफ्ट या पे आर्डर या पोस्टल आर्डर के रूप में उपनियम (2) में यथा वर्णित लाईसैन्स फीस तथा प्रतिभूति सहित आवेदन करेगा। मुख्य प्रशासक या इस निमित्त लिखित में उस द्वारा प्राधिकृत कोई अन्य व्यक्ति आवेदन के प्रत्यय–पत्र के सत्यापन के बाद पांच वर्ष से अनधिक अवधि के लिए प्ररूप ख (क) में लाईसैन्स अस्वीकार कर सकता है या प्रदान कर सकता है। इस प्रकार प्रदान लाईसैन्स प्ररूप च च में आवेदन करने तथा फीस के भुगतान पर प्रत्येक समय पांच वर्ष की अवधि के लिए नवीकरण योग्य होगा। इस नियम के अधीन जारी लाईसैन्स का रिकोर्ड प्ररूप प्ररूप ग ग में बोर्ड द्वारा अनुरक्षित किया जाएगा ।

(2) इस नियम के अधीन जारी लाईसैन्स के लिए लाईसैन्स फीस, प्रतिभूति तथा बैंक गारंटी निम्न अनुसार होगी :–

तालिका

लाईसैन्स का प्रवर्ग	प्रति वर्ष लाईसैन्स फीस	प्रति वर्ष लाईसैन्स की नवीकरण फीस	प्रतिभूति या बैंक गारंटी
1	2	3	4
ई व्यापार के लिए स्थल विनिमय की स्थापना	50,000/–रुपये	50,000/–रुपये	5.00 लाख रुपये की प्रतिभूति या 10.00 लाख रुपये की बैंक गारंटी :

परन्तु यह और कि स्थल विनिमय पर कार्यन्वित व्यापार की कुल मात्रा एक मास के दौरान दस करोड़ से अधिक है, तो लाईसैंसधारी मुख्य प्रशासक के पास बीस लाख रुपये की अपरिवर्तनीय सतत बैंक गांरटी जमा करेगा।

(3) लाईसैन्सधारी भण्डागार प्राप्ति प्रणाली द्वारा कृषि उपज वापसी को सुपुर्दगी के लिए प्रबन्ध करेगा। यह सुसंगठित तथा पूंजीकृत दलाली गृहों की प्रणाली रखेगा, जहाँ युक्तियुक्त पूँजी उपयुक्तता सहित सदस्य/दलाल भाग ले सकते हैं। लाईसैन्सधारी ऑनलाईन वास्तविक समय मूल्य तथा व्यापार सूचना प्रसार का प्रबन्ध करेगा। व्यापार से सम्बन्धित कोई सूचना बाजार में आनलाईन सांझी की जाएगी। यह प्रचालन तथा निर्णय करने में पारदर्शिता वाली होगी। स्थल विनिमय चलाने का प्रबन्धन, विश्वसनीय, प्रभावी तथा निष्पक्ष होगा तथा बाजार वस्तुओं का संचालन करने में अनुभव सहित भी होगी। स्थल विनिमय के स्वामित्व/प्रबन्धन तथा सदस्य/दलाल पृथक व्यक्ति/निकाय होंगे।

(4) लाईसैन्सधारी प्रमुख स्थानों पर आनलाईन व्यापार के लिए मंडी क्षेत्र में टर्मिनल व्यापार स्थापित करेगा, जो विक्रेताओं को आसानी से उपलब्ध हों।

(5) लाईसैन्सधारी मंडी क्षेत्र में, जिला, राज्य तथा राष्ट्रीय स्तर पर अधिसूचित कृषि उपज की वास्तविक समय कीमत तथा व्यापार से सम्बधित सूचना मुहैया करेगा तथा जहाँ तक सम्भव हो, मंडी समितियों के प्रागंण में इसकी अवस्थिति के क्षेत्र में स्थाई इलैक्ट्रोनिक कीमत प्रदर्शन बोर्ड मुहैया करवाएगा।

(6) लाईसैन्सधारी भाण्डागार, तौल, ग्रेडिंग तथा प्रमाणन तथा सफाई तथा पादप सफाई व्यवस्था के लिए प्रबन्ध करेगा।

(7) लाईसैन्सधारी क्रेताओं द्वारा केवल पूर्ण भुगतान के बाद विक्रेताओं द्वारा बेचे गए कृषि उत्पाद की सुपुर्दगी सुनिश्चित करेगा ।

(8) स्थल विनिमय के लाईसैन्सधारी को प्राईवेट मंडियों के लिए यथा अपेक्षित अवसंरचना के सृजन से छूट होगी। तथापि, इस नियम में यथा सूचित सुविधाएं लाईसैन्सधारी द्वारा उपलब्ध कराई जाएंगी।

(9) स्थल विनिमय के लाईसैन्सधारी कृषकों से अन्यथा उनके मंडी पदाधिकारियों से सदस्यता फीस, प्रतिभूति जमा, वार्षिक अंशदान, अतिरिक्त राशि तथा अन्य प्रभारों को प्रभारित करने से मुक्त होगा ।

(10). प्रत्यक्ष रूप से स्थल विनिमय के लाईसैन्सधारी कृषकों या उसके द्वारा यथा मान्यता प्राप्त निर्दिष्ट भाण्डागार प्राप्तियों के माध्यम से भौतिक सुपुर्दगी लेंगे ।

(11) स्थल विनिमय के लाईसैन्सधारी इसमें निष्पादित सभी व्यापार पर भुगतान गारंटी करेगा तथा इस प्रयोजन के लिए बन्दोबस्त गारंटी निधि का अनुरक्षण करेगा। विक्रेता, क्रेता के भाग पर किसी चूक के होते हुए भी, स्थल पर ही पूर्ण भुगतान प्राप्त करेगा।

(12) क्रेता द्वारा उद्धृत कीमत मंडी फीस, अन्य आनुषंगिक प्रभार इत्यादि के सिवाए विक्रेता को वास्तविक देय होंगे। भाण्डागारों में सुपुर्दगी के लिए परिवहन लागत तथा अन्य विविध लागतें क्रेता के खाते में से दी जाएंगी तथा क्रेता विक्रेता को केवल वास्तविक देय कीमत उद्धृत करेगा ।

(13) अति लघु द्वारक टर्मिनल (वी एस ए टी) की सदस्यता सभी कृषकों या उनके समूहों/सहकारी/कम्पनियों को शामिल करते हुए उपलब्ध करवाई जाएगी। अति लघु द्वारक टर्मिनल (वी एस ए टी) की सदस्यता फीस किसानों अथवा उनके समूहों/सहकारिता, यदि कोई हो, के सम्बन्ध में मुख्य प्रशासक के पूर्व अनुमोदन सहित लाईसैन्सधारी द्वारा नियत की जाएगी।

(14) स्थल विनिमय का लाईसैन्सधारी, केवल लाईसैन्स की प्राप्ति के बाद लाईसैन्स में विनिर्दिष्ट क्षेत्र या क्षेत्रों के किसानों से ग्रेडिंग या माक्रिंग, जैसी भी स्थिति हो, शुरू कर सकता है। तथापि, परियोजना के लागूकरण में असफलता के कारण लाईसैन्स के रद्दकरण की दशा में, लाईसैन्सधारी, लाईसैन्स के अधीन क्रय करना तुरन्त बन्द करेगा।

(15) मुख्य प्रशासक या उस द्वारा प्राधिकृत कोई अन्य अधिकारी जो सचिव की पदवी से नीचे का न हो, को स्थल विनिमय का निरीक्षण करने की शक्ति होगी।

(16) स्थल विनिमय का लाईसैन्सधारी, बोर्ड को मास के प्रत्येक सोमवार को मंडी फीस की समेकित वापसी तथा भुगतान सहित सम्बन्धित मंडी समिति को विक्रेताओं से किए गए क्रय की मासिक विवरणी मंडी क्षेत्र वार प्रस्तुत करेगा। वह यथा लागू संसाधित मालों से सम्बन्धित विक्रय विवरणी भी प्रस्तुत करेगा :

परन्तु कोई भी मण्डी फीस कृषि उपज के लिए राज्य के किसी मण्डी क्षेत्र में दूसरी बार के लिए उदगृहीत नहीं की जाएगी जिस पर मण्डी फीस स्थल विनिमय में विहित दर पर उद्गृहीत या संगृहीत की गई है।

(17) स्थल विनिमय का लाईसैन्सधारी विक्रय के दिन को विक्रय पर्ची जारी करते हुए विक्रेताओं को विक्रय आगमों का भुगतान सुनिश्चित करेगा तथा केवल ऐसे भत्ते तथा कटौतियां अनुज्ञात करेगा, जो नियमों के अधीन अनुज्ञात हैं, मंडी प्रभार संग्रहण करेगा जो अधिसूचित मंडी क्षेत्र में लागू हैं, तथा ऐसे रजिस्टरों का अनुरक्षण करेगा तथा सम्बद्ध सचिव के माध्यम से बोर्ड को ऐसी विवरणी प्रस्तुत करेगा ।

(18) इस नियम के अधीन जारी किए गए लाईसैन्स का रिकार्ड प्ररूप ग में बोर्ड द्वारा अनुरक्षित किया जाएगा। '' ।

6. उक्त नियमों में, नियम 18 में, –

''(i) उप–नियम (1) में, खण्ड (ग) में, विद्यमान व्याख्या के स्थान पर, निम्नलिखित व्याख्या प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात्:–

''व्याख्या.– इस खण्ड तथा उप–नियम (2) के खण्ड (ख) के प्रयोजनों के लिए, व्यक्ति, जिसकी कृषि उपज के विक्रय तथा क्रय की टर्नओवर वर्ष के दौरान बारह लाख रुपए अथवा किसी मास के दौरान एक लाख रुपए से अधिक नहीं होती, को लघु–दुकानदार के रूप में माना जाएगा। ''।

(ii) उप नियम 2 में खण्ड (घ) के बाद, निम्नलिखित खण्ड जोड़ा जाएगा, अर्थात् :–

''(ङ) बागवानी विभाग अथवा कृषि विभाग द्वारा प्रायोजित किसान उत्पादक संगठन तथा उनके अपने सदस्यों को, जो उपज को इक्ट्ठा करते या बेचते हैं, धारा 10 के उपबन्धों से छूट होगी।''

7. उक्त नियमों में, नियम 22 में, उप–नियम (1) में विद्यमान परन्तुक में,–

(i) अन्त में विद्यमान ''।'' चिह्न के स्थान पर, '' : '' चिह्न प्रतिस्थापित किया जाएगा ;

(ii) निम्नलिखित परन्तुक रखा जाएगा, अर्थात् :–

परन्तु यह और कि प्रवर्ग– I के लाईसैन्सधारी को कच्चे आढ़तियां का लाईसैन्स नहीं दिया जाएगा । '' ।

8. उक्त नियमों में, नियम 28 में, उप–नियम (1) में, ''जो तम्बाकू'' शब्दों के बाद, ''लक्कड़'' चिह्न तथा शब्द रखा जाएगा।

9. उक्त नियमों में, नियम 29 में,—

(i) दो बार आने वाले उप–नियम (3) के स्थान पर, निम्नलिखित उप–नियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:–

''3 फीस, संव्यवहार की तिथि के सात दिन के भीतर समितियां ऐसे भुगतान को प्राप्त करने के लिए या सम्यक् रूप से प्राधिकृत अधिकारी या अभिकरण को भुगतान की जाएगी।

3(क) मंडी फीस का संग्रहण, समिति द्वारा यथा अधिकथित ऐसे निबन्धनों तथा शर्तों पर एक वर्ष के समय से अनधिक किसी अवधि के लिए, मुख्य प्रशासक के पूर्व अनुमोदन से समिति द्वारा किसी अभिकरण को पट्टे पर दिया जा सकता है या नीलाम किया जा सकता है। तथापि, ये अधिसूचित मंडी क्षेत्र में केवल फलों तथा सब्जियों के मामले में ही लागू होगी।

व्याख्या.–नियम 29 के उप–नियम (3) तथा नियम 31 के उप–नियम (1) में विनिर्दिष्ट सात दिनों की अवधि की संगणना करने में संव्यवहार का दिन शामिल किया जाएगा ।

टिप्पण–I :– किसी सीमा तक फीस का भुगतान सम्बद्ध समिति के लेखे में प्राधिकृत बैंक में लाईसैंसधारी द्वारा सम्बद्ध समिति की निधियों के पक्ष में या तो नकदी में या डिमांड ड्राफ्ट/पे आर्डर के माध्यम से या रियल टाईम ग्रॉस सेटलमेंट अर्थात् आनलाईन भुगतान के माध्यम से इस शर्त के अध्यधीन कि संग्रहण प्रभार, यदि कोई हो; लाईसैन्सधारी द्वारा वहन किए जाएंगे, जमा किए जाएंगे।

टिप्पण–II:– ऐसे मामलों में जहां अगणित कृषि उत्पाद बोर्ड या समिति, जैसी भी स्थिति हो, के अधिकारियों द्वारा पता लगाया जाता है, तो फीस तुरन्त भुगतान करनी होगी तथा सात दिनों के भीतर भुगतान के उपबन्ध ऐसे मामलों में लागू नहीं होंगे । ''।

10 उक्त नियमों में, नियम 30 में,–

(i) उप–नियम (3) के स्थान पर, निम्नलिखित उप–नियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :–

''(3) व्यवहारी जो किसी कृषि उपज मिशन, जिसके सम्बन्ध में मंडी फीस दूसरे अधिसूचित मंडी क्षेत्र में पहले ही भुगतान की गई है, पर उद्गृणीय मंडी फीस के भुगतान से छूट का दावा करता है, घोषणा करेगा तथा प्ररूप एल–1 में समिति को प्रमाणपत्र देगा, जहां फीस अधिसूचित मंडी क्षेत्र के भीतर कृषि उपज को लाने के चौदह दिन के भीतर पहले ही भुगतान कर दी गई है । प्ररूप एल–1 समिति द्वारा नियत भुगतान पर मंडी के सचिव द्वारा जारी सम्यक् रूप से सत्यापित बुकलैट रूप में चोहरी प्रति में तैयार किया जाएगा । इस उप–नियम के अधीन मंडी फीस से छूट का दावा करने वाले व्यवहारी की समिति को प्ररूप एल–1 की मूल प्रति भेजने की ड्यूटी होगी जिस मंडी क्षेत्र के भीतर कृषि उपज लाई गई है। दूसरी प्रति समिति के कार्यालय को भेजी जाएगी जिसके मंडी क्षेत्र में ऐसी कृषि उपज लाई गई थी, तथा तीसरी तथा चौथी प्रतियां क्रमशः व्यवहारी–क्रेता तथा व्यवहारी विक्रेता द्वारा रखी जाएंगी तथा उसे मंडी फीस के सम्बन्ध में अनुरक्षित उनके लेखों के भाग रूप में रखा जाएगा । सचिव को विहित चौदह दिन के भीतर प्ररूप एल–1 प्रस्तुत करने के लिए व्यवहारियों हेतु अनिवार्य होगा, जिसमें असफल होने पर मंडी फीस के भुगतान में कोई भी छूट नही दी जाएगी।

(ii) उप–नियम (5) में, विद्यमान परन्तुक के स्थान पर, निम्नलिखित परन्तुक प्रतिस्थापित किये जाएंगे, अर्थात् :–

''परन्तु व्यवहारी जो प्रसंस्करण हेतु लाई गई किसी कृषि उपज पर उद्ग्रहणीय फीस के भुगतान से छूट का दावा करता है, घोषणा करेगा तथा समिति के सचिव द्वारा सम्यक् रूप से सत्यापित प्ररूप एल–2 में समिति को प्रमाणपत्र देगा जहां फीस अधिसूचित मंडी क्षेत्र के भीतर कृषि उपज को लाने के चौदह दिन के भीतर पहले ही भुगतान की गई है तथा उप–नियम (2) के उपबन्ध का अनुपालन किया गया है :

परन्तु यह और कि राज्य के बाहर से प्रसंस्करण के लिए लाई गई कृषि उपज पर दूसरी बार मंडी फीस के भुगतान से कोई छूट नहीं दी जाएगी यदि व्यवहारी/लाईसैन्सधारी द्वारा चौदह दिन के भीतर प्ररूप एल–II प्रस्तुत नहीं किया जाता है।

(iii) उप–नियम (6) के बाद, निम्नलिखित उप–नियम जोड़ा जाएगा, अर्थात्:–

''(7) कोई भी मंडी फीस फलों तथा सब्जियों पर उद्गृहीत नहीं की जाएगी जिसके सम्बन्ध में मंडी फीस राज्य के भीतर किसी मंडी में पहले ही भुगतान की गई है :

परन्तु क्रय बिल, परिवहन से सम्बन्धित दस्तावेजों सहित राज्य के भीतर किसी मंडी में मंडी फीस का भुगतान करने का सबूत सम्बद्ध समिति के व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत किया गया है जिस मंडी क्षेत्र के भीतर कृषि उपज उसको उतारने से पूर्व लाई गई है । यदि कोई भी ऐसा क्रय बिल, परिवहन से सम्बन्धित दस्तावेज कृषि उपज को उतारने से पूर्व सम्बद्ध समिति के कार्यालय में प्रस्तुत नहीं किया जाता है, तो छूट के लिए कोई भी दावा ग्रहण नहीं किया जाएगा।''

(8) राज्य के भीतर या राज्य के बाहर से जॉब कार्य के लिए लाई गई कृषि उपज तथा जिसके लिए मण्डी फीस पहले ही दे दी गई है, राज्य में या राज्य के बाहर किसी मण्डी समिति में पहले ही भुगतान सीमा तक मण्डी फीस के भुगतान से छूट होगी। तथापि, मण्डी फीस की दरों का अन्तर, यदि कोई हो, भुगतानयोग्य होगा :

परन्तु व्यवहारी जो जॉब कार्य के लिए लाई गई किसी कृषि उपज पर पहले ही भुगतान की गई मण्डी फीस के लिए ऐसे जमा के दावे करता है, तो वह इस सम्बन्ध में घोषणा करेगा तथा समिति के सचिव द्वारा सम्यक् रूप से सत्यापित प्ररूप एल–II में समिति को प्रमाण–पत्र देगा जहां फीस अधिसूचित मण्डी क्षेत्र के भीतर कृषि उपज लाने के चौदह दिन के भीतर पहले ही भुगतान किया गया है तथा इसके अतिरिक्त उप–नियम (2) के उपबन्धों का अनुपालन करेगा :

परन्तु यह और कि राज्य के बाहर से जॉब कार्य के लिए लाई गई किसी कृषि उपज पर दूसरी बार मण्डी फीस के भुगतान से कोई छूट नहीं होगी यदि प्ररूप एल–II व्यवहारी/लाईसैंसधारी द्वारा चौदह दिन के भीतर प्रस्तुत नहीं की गई हैं।''

11. उक्त नियमों में, विद्यमान प्ररूप क, ख तथा ग के स्थान पर, निम्नलिखित प्ररूप प्रतिस्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :–

"**प्ररुप क**

[देखिए नियम 17 (1)]

धारा 10 के अधीन लाईसैंस प्रदान करने के लिए आवेदन

सेवा में,

मुख्य प्रशासक,
हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड,
सचिव, हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड,
पंचकूला या कार्यकारी अधिकारी एवं सचिव, सम्बद्ध मंडी समिति,
जैसी भी स्थिति हो, के माध्यम से ।

श्रीमान जी,

मेरे कारोबार के ब्यौरे नीचे दिए गए हैं :–

1	पूरे पते सहित आवेदक का नाम	
(i)	आधार सख्या (जहां कहीं लागू हो)	
(ii)	पैन नम्बर	
(iii)	मोबाईल नम्बर	
(iv)	ई–मेल पता	
2	अधिसूचित मंडी क्षेत्र या विहित जोन या सम्पूर्ण राज्य के लिए जिसमें आवेदक कारबार करना चाहता है ।	
3	कारबार का स्थान जिसके लिए लाईसैंस के लिए आवेदन किया गया है (भवन का नाम या नम्बर तथा गली का नाम या नम्बर या परिसरों को पहचान के लिए पर्याप्त अन्य विवरण दें) (प्रवर्ग II के लाईसैन्स हेतू अर्थात् कच्चा आढ़तियां/कमीशन एजेंट के लिए परिसर का अधिसूचित मंडी प्रांगण में होना चाहिए)।	
4	यदि आवेदक कोई फर्म है, क्या यह हिन्दू संयुक्त परिवार फर्म या अन्यथा गठित है तथा क्या यह रजिस्टर्ड की गई है या नहीं ?	
5	यदि आवेदक कोई फर्म है, तो सभी व्यक्तियों के नाम दें जिनसे फर्म गठित की गई है ।	

क्रम संख्या	नाम	पिता/पति का नाम	पूरा पता
6	फर्म के प्रबन्धक मालिक या प्रबन्धक का नाम		
	आधार नम्बर		
7	नाम तथा किस्म जिसके अधीन आवेदक काम करेगा।		
8	क्या आवेदक, या जहां आवेदक कोई फर्म है, तो क्या उसका कोई सदस्य है, एकल या किसी अन्य के सहयोग से बनी है, को राज्य के किसी मंडी क्षेत्र में किसी व्यवहारी को लाईसैंस दिया गया है तथा क्या ऐसा लाईसैंस निलम्बित या रद्द किया गया है? यदि ऐसा है, तो कब, किस अवधि के लिए तथा किस कारण के लिए ?		

8. आवेदित किए गए लाईसैंस का प्रवर्ग :–

1. (क) जिसमें 2.00 करोड़ रुपए या से अधिक का वार्षिक टर्नओवर वाले व्यापारी/थोक व्यवहारी, कारखाना कृषि उपज के विक्रय, क्रय, भण्डारण, पैकेजिंग, छंटाई, ग्रेडिंग, ओटाई कारखाने, शैलर, आटा मिल, तेल एक्सपेलर, दाल मिल/या प्रशीतन के लिए शीतागार शामिल हैं ।

(ख) जिसकी वार्षिक टर्नओवर/कुल ब्रिकी 12.00 लाख रुपये है किन्तु 2.00 करोड़ रुपये से अधिक नहीं है। व्यापारी/थोक व्यवहारी, कारखाना जिसमें कृषि उपज के विक्रय, क्रय, भण्डारण, पैकेजिंग, छंटाई, ग्रेडिंग, ओटाई कारखाना, शैलर, आटा मिल, तेल एक्सपेलर, दाल मिल/या प्रशीतन शीतागार के लिए शामिल है।

2. कृषि उपज के विक्रय, क्रय या भण्डारण के लिए कमीशन एजैंट या कच्चा आढ़तिया ।

3. अन्य व्यवहारी जिसकी कृषि उपज का वार्षिक टर्नओवर दो लाख रुपये से अधिक है किन्तु बारह लाख रुपये से अधिक नहीं हैं ।

प्रमाणित किया जाता है कि आवेदन में निर्दिष्ट तथ्य मेरी सर्वोतम जानकारी के अनुसार सत्य हैं, मैं हरियाणा कृषि उपज मंडी अधिनियम, 1961 तथा इसके अधीन बनाए गए नियमों तथा उपविधियों के उपबन्धों का पालन करने को मानता हूं।

मैं अपने कर्मचारियों के सभी कार्यों के लिए जिम्मेवार हूँगा। यह अनुरोध किया जाता है कि हरियाणा कृषि उपज मंडी अधिनियम, 1961 की धारा 10 के अधीन लाईसैंस प्रदान करने की कृपा करें ।

आवेदक के हस्ताक्षर ।

प्ररूप ख

[देखिए नियम 17 (4)]

धारा 10 के अधीन लाईसैंस

यह लाईसैंस इसके नीचे विहित शर्तों के अध्यधीन मंडी समिति या जोन या सम्पूर्ण राज्य ..... के अधिसूचित मंडी क्षेत्र के लिए मैसर्ज ..... को प्रदान किया जाता है :–

1	लाईसैंस की क्रम संख्या ।	
2	प्रतिशतता सहित फर्म के प्रबन्धक मालिक या प्रबन्धक का नाम।	
3	तिथि जिससे लाईसैंस प्रभावी है	
4	तिथि जिसको लाईसैंस समाप्त होगा।	
5	प्रदान किए गए लाईसैंस के प्रवर्ग	(i) (क) 2.00 करोड़ रुपए या से अधिक की वार्षिक टर्नओवर रखने वाले व्यापारी/थोक व्यवहारी, कारखाना जिसमें कृषि उपज विक्रय, क्रय, भण्डारण, पैकेजिंग, छंटाई, ग्रेडिंग, ओटाई कारखाने, शैलर, आटा मिल, तेल एक्सपेलर, दाल मिल/या प्रशीतन के लिए शीतागार शामिल हैं। या (ख) जिसकी वार्षिक टर्नओवर/कुल बिक्री 12.00 लाख रुपये है किन्तु 2.00 करोड़ रुपये से अधिक नहीं है व्यापारी/थोक व्यवहारी, कारखाना जिसमें कृषि उपज के विक्रय, क्रय, भण्डारण, पैकेजिंग, छंटाई, ग्रेडिंग, ओटाई कारखाना, शैलर, आटा मिल, तेल एक्सपेलर, दाल मिल या प्रशीतन के लिए शीतागार शामिल है। **या** (ii) कृषि उपज के विक्रय, क्रय या भण्डारण के लिए कमीशन एजैंट या कच्चा आढ़तिया **या** (iii) अन्य व्यवहारी जिसकी कृषि उपज की वार्षिक टर्नओवर दो लाख रुपये से अधिक है किन्तु बारह लाख रुपये से अधिक नहीं है ।
6	मंडी समिति या विहित जोन या सम्पूर्ण राज्य का अधिसूचित मंडी क्षेत्र जिसमें लाईसैंस वैध है ।	
7	कारबार का स्थान	

स्थान : मुख्य प्रशासक,

दिनांक : हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड।

लाईसैंस की शर्तें :–

1. लाईसैंसधारी, हरियाणा कृषि उपज मंडी अधिनियम, 1961 तथा इसके अधीन बनाए गए नियमों तथा उप–विधियों तथा समय–समय पर जारी हिदायतों का अनुपालन करेगा।
2. वह अधिनियम, नियमों तथा उप–विधियों के किन्हीं उपबन्धों का अपवंचन या अतिलंघन की अनुमति नहीं करेगा और वह किसी अपवंचन या उल्लंघन जो उसकी जानकारी में आता है, लिखित में मंडी समिति को सूचित करेगा ।

3. वह मांग करने पर बोर्ड के मुख्य प्रशासक या इस निमित्त उस द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी या मंडी समिति के अध्यक्ष को इस सम्बन्ध में लाईसैंसधारी को दी जाने वाली रसीद के विरुद्ध अपना लाईसैंस समर्पित करेगा।
4. वह अपना कारबार निष्कपट व्यवहार के सिद्धान्तों के अनुसार ईमानदारी से तथा उचित रूप से करेगा ।
5. वह अपना लाईसैंस अपने कारबार परिसरों के सहजदृश्य स्थान पर प्रदर्शित करेगा ।
6. वह अपने कारबार परिसरों को कृषि उपज के भण्डारण के लिए साफ तथा उपयुक्त स्थिति में रखेगा ।
7. वह किसी अन्य लाईसैंसधारी का बॉयकाट नहीं करेगा या बॉयकाट करने के लिए प्रोत्साहित नहीं करेगा ।
8. वह ऐसी गतिविधियों तथा व्यवसाय में आशक्त नहीं होगा, जो मंडी के व्यापार तथा उचित कृत्य करने के हित के लिए हानिकारक हैं ।
9. वह किसी लाईसैन्सधारी दलाल, तोलकार, मापक, पर्यवेक्षक या पलेदार को अपनी सेवा में नहीं लेगा या बनाए नहीं रखेगा ।
10. वह विक्रय या भण्डारण के लिए अपनी दुकान में लाई गई कृषि उपज की सुरक्षित अभिरक्षा तथा संरक्षण के लिए जिम्मेवार होगा ।
11. वह प्रतियोगिता विलोपन करने के लिए अन्य क्रेता के साथ संघ या संगठन नही बनाएगा या विक्रेता को उसकी उपज के उचित मूल्य से वंचित करने के लिए कोई ऐसा प्रयास नहीं करेगा ।
12. वह लाईसैंस की समाप्ति या शीघ्रतम समाप्ति पर उसे समिति को समर्पित करेगा ।
13. वह, जब मंडी समिति या इस द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी द्वारा अधिनियम के अधीन कृषि उपज के विक्रय तथा क्रय से सम्बन्धित अपने कारबार से सम्बन्धित मामलों की सही सूचना प्रस्तुत करेगा ।
14. प्रतिभूति लाईसैंस प्राधिकारी द्वारा भागतः या पूर्णतः जब्त किए जाने के लिए दायी होगी यदि लाईसैंसधारी लाईसैंस की किसी शर्त की उल्लंघना करता है।

प्ररूप ग

[देखिए नियम 17 (5) तथा 19 (3)]

धारा 10/13 के अधीन जारी लाईसैंसों का रजिस्टर

क्रम संख्या	विवरण	
1	अधिसूचित मंडी क्षेत्र	
2	फर्म का नाम	
3	परिसरों का पता	
4	प्रबंधक मालिक का नाम	
5	लाईसैंस नम्बर	
6	लाईसैंस का स्वरूप	
7	हिस्सेदार का नाम	

क्रम संख्या	नाम	पिता का नाम	पता

1	2	3	4	5	6	7
इन्द्राज की तिथि	तिथि जिससे लाईसैंस प्रभावी है	तिथि जिसको लाईसैंस समाप्ति होता है	प्राप्त लाईसैंस फीस	रसीद नम्बर और तिथि	जारीकर्ता प्राधिकारी के हस्ताक्षर और पद नाम	टिप्पणी

प्ररूप क 1 (क)

[देखिए नियम 17 क (1)]

स्थल विनिमय के लिए लाईसैंस देने हेतु आवेदन

सेवा में

मुख्य प्रशासक,
हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड,
पंचकूला।

मैं / हम / (नाम) ..... (पता) .....

(दूरभाष नम्बर) ..... आधार नम्बर ..... ई–मेल पता ..... राज्य में निम्नलिखित अधिसूचित कृषि उपज ..... हेतु ई–व्यापार के लिए स्थल विनिमय के लिए लाईसैंस देने हेतू आवेदन करता हूं / करते हैं । यथा अपेक्षित आवश्यक दस्तावेज संलग्न किए जा रहे हैं । ..... उपरोक्त वर्णित लाईसैंस प्राप्त करने के लिए नियमों के अनुसार ..... रुपये की आवश्यक लाईसैंस फीस भुगतान करने के लिए तैयार हूं / है तथा इच्छुक हूं / हैं । आपसे मुझे लाईसैंस देने के लिए अनुरोध करता हूं / करते हैं ।

आपका शुभचिन्तक,

आवेदक के हस्ताक्षर

इस आवेदन के साथ प्रस्तुत दस्तावेज :–

(i) कम्पनी, सहकारी सोसाइटी, न्यास, निगम, भागीदारी इत्यादि के सम्बन्ध में संस्थापन या रजिस्ट्रेशन का प्रमाणपत्र ।
(ii) संगम ज्ञापन या संगम अनुच्छेद ।
(iii) सभी निदेशकों तथा स्वामियों तथा भागीदारों, इत्यादि के नाम तथा पता तथा टेलीफोन नम्बर ।
(iv) लाईसैंस फीस भुगतान करने के समर्थन में रसीद ।
(v) प्रचालन तथा कार्य मार्गदर्शन जैसे कि स्थल विनिमय कैसे चलाया जाएगा या संचालित किया जाएगा ।
(vi) वचनबद्धता शपथपत्र कि आवेदक अधिनियम तथा इसके आधीन बनाए गए नियमों के सभी उपबन्धों का पालन करेगा तथा उल्लंघन की दशा में वह दण्डात्मक कारवाई के लिए दायी होगा जिसमें लाईसैंस का रद्दकरण भी शामिल हैं।
(vii) नियम 17 क (2) में यथा उपबन्धित बैंक गारंटी।
(viii) आयकर विवरणी ।
(ix) सम्बद्ध प्राधिकारी द्वारा दी गई स्थाई मान्यता के पत्र की अधिप्रमाणित प्रति ।

दिनांक : आवेदक के हस्ताक्षर

स्थानः

प्ररूप ख (क)

[देखिए नियम 17 क (1)]

स्थल विनिमय के लिए लाईसैंस

निम्नलिखित शर्तों पर पंजाब कृषि उपज मंडी (सामान्य) नियम, 1962 के नियम 17 क के उपबन्धों में अध्यधीन ..... मंडी समिति के मंडी क्षेत्र में कृषि उपज के ई–व्यापार के लिए स्थल विनिमय हेतु ..... रुपये की फीस के भुगतान पर ..... (नाम तथा पता) ..... (दूरभाष नम्बर) ..... (जिसे, इसमें, इसके बाद लाईसैंसधारी के रूप में निर्दिष्ट किया गया है) को इसके द्वारा, लाईसैंस दिया गया है :–

1 लाईसैंसधारी, हरियाणा कृषि उपज मंडी अधिनियम, 1961 तथा नियमों के उपबन्धों तथा मुख्य प्रशासक के साथ लाईसैंसधारी द्वारा किए गए करार की शर्तों का पालन करेगा ।

2 यह लाईसैंस अन्तरणयोग्य नहीं है ।

3 यह लाईसैंस उक्त अधिनियम तथा इसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबन्धों के अनुसार निलम्बित या रद्द किया जा सकता है यदि लाईसैंस धारक अधिनियम तथा नियमों के उपबन्धों के विरुद्ध कोई कार्य करता है या मंडी क्षेत्र में कृषि उपज के विपणन करने में जानबूझकर बाधा डालने, निलम्बित करने या रोकने के निश्चय से मंडी में अपने सामान्य कारबार चलाने से परहेज करता है ।

4 इस लाईसैंस के निलम्बन या रद्दकरण की दशा में, इसे तुरन्त मुख्य प्रशासक को समर्पित किया जाएगा।

5 लाईसैंसधारी मिलावट नहीं करेगा या किसी घोषित कृषि उपज की मिलावट नहीं करवाएगा ।

6 लाईसैंसधारी मंडी फीस के अपवंचन को रोकने में मुख्य प्रशासक की सहायता करेगा।

7 लाईसैंसधारी, मुख्य प्रशासक द्वारा लाईसैंस देने के बाद, पन्द्रह दिन की अवधि के भीतर लाईसैंसधारी के प्राधिकृत प्रतिनिधि के बारे में सूचना देगा जो उसकी ओर से जिम्मेवार होगा ।

8 लाईसैंसधारी मुख्य प्रशासक द्वारा अपेक्षित रीति में पुस्तकों, रजिस्टरों तथा अभिलेखों का अनुरक्षण करेगा तथा मुख्य प्रशासक या उस द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति को निरीक्षण के लिए उन्हें उपलब्ध कराएगा ।

9 लाईसैंसधारी मुख्य प्रशासक को सूचना तथा विवरणी प्रस्तुत करेगा जो समय–समय पर उस द्वारा मांगी जाएं ।

10 लाईसैंसधारी, विक्रेता को इस प्रकार बेची गई कृषि उपज की कीमत उसी दिन भुगतान करना सुनिश्चित करेगा ।

11 लाईसैंसधारी किसी फीस की मांग या प्राप्त नहीं करेगा या उन प्रभारों से अन्यथा किसी ऐसे प्रभारों को वसूल नहीं करेगा जिनको वह अधिनियम या नियमों के उपबन्धों के अनुसार प्राप्त या वसूल करने के लिए हकदार हैं।

12 लाईसैंसधारी कोई व्यापार भत्ता नहीं देगा या वसूल नहीं करेगा (यह नियम 17 क के (ड) के नीचे द्वितीय परन्तुक से सम्बन्धित है)।

13 लाईसैंसधारी प्राधिकृत भार तथा माप मुहैया करेगा ।

14 लाईसैंसधारी अनुज्ञप्त तोलकार या मापकों तथा हैमलों को केवल बोर्ड/मंडी समिति द्वारा नियत दरों पर भुगतान करेगा।

15 लाईसैंसधारी कम्पनी के गठन में किसी परिवर्तन की मुख्य प्रशासक को सूचना देगा ।

16 लाईसैंसधारी हरियाणा कृषि उपज मंडी अधिनियम, 1961 की धारा 8 ग (8) के अधीन उपबन्धित रीति में अधिसूचित कृषि उपज के विपणन के सम्बन्ध में अपने सभी विवादों का हवाला देगा ।

17 लाईसैंसधारी हर रोज आगामी/स्थल कीमतों को दर्शाने के लिए मंडी में प्रमुख स्थान पर इलैक्ट्रोनिक इन्टर बोर्ड/टर्मिनल मुहैया करेगा ।

दिनांक :

स्थानः मुख्य प्रशासक

प्ररूप च च

[देखिए नियम 17 क (1)]

स्थल विनिमय को लाईसैंस के नवीकरण के लिए आवेदन प्ररूप

सेवा में

मुख्य प्रशासक,
हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड,
पंचकूला।

श्रीमान जी,

मैं, मेरे लाईसैंस के नवीकरण के लिए अनुरोध करता हूं । आवश्यक ब्यौरे नीचे दिए गए हैं :–

स्थल विनिमय के ब्योरे जिसके लिए लाईसैंस जारी किया गया है	
आवेदक का नाम (मंडी प्रांगण के स्थान के पूर्ण ब्योरों सहित)	
लाईसैंस की संख्या	
तिथि जिसको लाईसैंस समाप्त होगा	
अवधि जिसके लिए नवीकरण अपेक्षित है	
भुगतान की गई फीस	रुपये
भुगतान की गई शास्ति , यदि कोई हो,	
क्या आवेदक (आवेदकों) या जहां आवेदक कोई फर्म है , उसका एकल कोई सदस्य या किसी अन्य निकाय के सहयोग से	
(क) किसी अन्य मंडी क्षेत्र में कोई लाईसैंस दिया गया है तथा उसका लाईसैंस निलम्बित या रद्द किया गया है। यदि ऐसा है, तो, कब, कहां, किस अवधि के लिए तथा किन कारणों के लिए ; या	
(ख) किसी नैतिक अधमता वाले अपराध का सिद्धदोषी है। यदि ऐसा है, तो दोषसिद्धि की तिथि ; या	
(ग) अनुन्मोचित दिवालिये के रूप में घोषित किया गया है।	
मंडी समिति/बोर्ड के देयों का भुगतान न करने का चूककर्ता है।	

मैं नवीकरण फीस के मद्दे डिमाण्ड ड्राफ्ट संख्या ..... दिनांक .....रुपये की राशि .....संलग्न कर रहा हूं ।

उपरोक्त दिए गए ब्यौरे मेरी सर्वोतम जानकारी तथा विश्वास के अनुसार सत्य तथा सही है ।

दिनांक : आवेदक के हस्ताक्षर

लाईसैंस का नवीकरण

नवीकरण की तिथि	अवधि जिसके लिए नवीकृत किया गया है।	तिथि सहित मुख्य प्रशासक के हस्ताक्षर

प्ररूप ग ग

[देखिए नियम 17 क (1)]

स्थल विनिमय को लाईसैंस धारक का रजिस्टर

क्रम संख्या	आवेदक का नाम तथा पता	लाईसैंस के लिए आवेदन की प्राप्ति की तिथि	लाईसैंस की किस्म तथा जारी करने की तिथि	मंडी क्षेत्र (क्षेत्रों)	लाईसैंस फीस (रुपये)	लाईसैंस संख्या तथा तिथि	लाईसैंस की वैधता	टिप्पणियां तथा हस्ताक्षर
1	2	3	4	5	6	7	8	9

12 उक्त नियमों में प्ररूप झ, ञ तथा ट के स्थान पर, क्रमशः निम्नलिखित प्ररूप प्रतिस्थापित किये जाएंगे, अर्थात्:–

प्ररूप झ

[देखिए नियम 24 (12) तथा 24 (13)]

कच्चे आढ़तिए के बिल

पुस्तक संख्या ..... क्रम संख्या .....

मंडी समिति का नाम :.....

कच्चे आढ़तिए का नाम :..... .....

क्रेता का नाम :..... दिनांक .....

वस्तु का नाम	भार (क्विंटल किलोग्राम में)	दर (प्रति क्विंटल रुपए की दर)	कुल राशि	मंडी प्रभार	बोनस	कुल जोड़
		रुपये	रुपये	रुपये	रुपये	रुपये
				कमीशन.....		
				दलाली.....		
				पलेदारी.....		
				भराई तथा सिलाई प्रभार		
				अन्य प्रभार.....		

कच्चे आढ़तिए के हस्ताक्षर

प्ररूप ञ

[देखिए नियम 24 (14)]

विक्रेता के लिए विक्रय वाउचर

पुस्तक संख्या ..... क्रम संख्या .....
मंडी समिति का नाम :.....
नीलामी की तिथि :.....
कच्चे आढ़तिए का नाम :.....
विक्रेता का पता : .....
विक्रेता का नाम : .....

वस्तु का नाम	क्रेता का नाम	भार (क्विंटल किलोग्राम में)	दर (प्रति क्विंटल रुपए की दर)	आनुषंगिक प्रभार	बोनस	भुगतान की गई कुल राशि
			रुपए	रुपए	रुपए	रुपए.....

टिप्पण :– जहां कृषि उपज, सब्जी या फल होने के कारण, वितरित की गई है, तो वहां 'क्रेता के नाम' से सम्बन्धित खाना 2 में भरना आवश्यक नहीं होगा ।

बांये अंगूठे का निशान (एल टी आई)/ कच्चे आढ़तिए के हस्ताक्षर
किसान, उसके अभिकर्ता के हस्ताक्षर ।

प्ररूप ड

[देखिए नियम 31 (1)]

प्रतिदिन लाई गई, बेची गई या प्रसंस्करण के लिए लाई गई कृषि उपज का विवरण

मंडी समिति का नामः.....

दिनांक :.....

व्यवहारी का नामः.....

रसीद संख्या सहित भुगतान की गई मंडी फीस की पिछली तिथि :.....

लाईसैंस संख्या :.....

खरीदी गई									
संव्यवहार की तिथि	वस्तु का नाम	विक्रेता का नाम जिससे खरीदी गई	भार (क्विंटल किलोग्राम में)	दर (रुपये प्रति क्विंटल की दर से)	मूल्य	क्या फीस उद्ग्रहणीय है, यदि नहीं तो क्यों ?	उद्ग्रहणीय फीस की राशि	क्रेता का नाम जिसको बेची गई है	भार (क्विंटल किलोग्राम में)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

बेची गई					
दर (रुपये प्रति क्विंटल)	मूल्य	क्या फीस उद्ग्रहणीय है, यदि नही तो क्यों ?	उद्ग्रहणीय फीस की राशि	बोनस	टिप्पणियां
11	12	13	14	15	16

कुल.....

टिप्पण :– केवल सब्जी या फल में संव्यवहार करने वाले व्यवहारियों की दशा में, 'क्रेता का नाम' जिसको बेची गई है से सम्बन्धित खाना 7 भरना आवश्यक नहीं होगा।

व्यापारी के हस्ताक्षर ''।

वी.एस. कुन्डू,
अपर मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार,
कृषि विभाग।

[Authorised English Translation]

HARYANA GOVERNMENT

AGRICULTURE DEPARTMENT

Notification

The 23rd May, 2016

No. S.O. 13/H.A. 23/1961/S. 43/2016.— In exercise of the powers conferred by Sub-section (1) read with Sub-section (2) of Section 43 of the Haryana Agricultural Produce Markets Act, 1961 (Punjab Act 23 of 1961), the Governor of Haryana hereby makes the following rules further to amend the Punjab Agricultural Produce Markets (General) Rules, 1962, in their application to the State of Haryana, namely:-

1. These rules may be called the Punjab Agricultural Produce Markets (General) Amendment Rules, 2016.

2. In the Punjab Agricultural Produce Markets (General) Rules, 1962 (hereinafter called the said rules), in the long title, short title and wherever occurring, for the word "Punjab", the word "Haryana" shall be substituted.

3. In the said rules, in rule 2,-

(i) after clause (6), the following clause shall be inserted, namely:-

"(6a) 'Farmers Producer Organization' means a registered Farmer Producer Organization playing the role of aggregator of farmer members produce who are resident of notified market area engaged in agricultural production;" ;

(ii) after clause (12), the following clause shall be inserted, namely:-

"12(a) 'Premises' means an independent ground floor shop with open space for display of agricultural produce facing the common platform in the principal market yard/ Sub market Yard;" ;

(iii) in clause (15) the word "and" shall be omitted;

(iv) in clause (16), for the sign "." occurring at the end, the sign ";" shall be substituted;

(v) after clause (16), the following clauses shall be added, namely:-

"(17) 'Trader' means a person who trades in notified agricultural produce;

(18) 'Wholesale dealer' means a trader who buys in bulk agricultural produce from the seller in a market and sells to retailers.".

4. In the said rules, in rule 16A,

(i) after sub-rule (1), the following sub-rule shall be inserted, namely:-

"(1a) Contract farming sponsor shall not enter into any contract for cultivation of any agricultural produce, extraction/production of which is prohibited under any law of the State or the Union of India for the time being in force.";

(ii) for sub-rule (6), the following sub-rule shall be substituted, namely:-

"(6) The contract farming agreement between the contract farming sponsor and contract farming producer shall be in Form C-1 and it shall be got registered with the District Marketing Enforcement Officer concerned in the presence of both the parties. The agreed rate/contract rate shall not be less than minimum support price of the preceding Year. The buyer shall deposit an amount equal to five percent of the total price of the agricultural produce as per agreed rate or minimum support price (if the rate is not agreed upon) or bank guarantee for the sum with the committee in which the land is situated as security. Where there is no minimum support price and no agreed rate, the amount of security shall be calculated at the rate of five percent of the prevailing market rate at the time of agreement. The security or bank guarantee shall be released within a period of thirty days after the date of satisfactory performance of the agreement. The concerned District Marketing Enforcement Officer shall pass an order within thirty days and communicate to the sponsor. He shall record reasons, if the order cannot be passed within thirty days. The contract farming sponsor shall provide adequate insurance cover for the crops of the contract farming. The cost of insurance premium shall be borne by the contract farming sponsor and farmer in the ratio of 60:40".

5. In the said rules, for rule 17, the following rules shall be substituted, namely:-

"17. Licence to dealer-(1) A person desirous of obtaining a licence under section 10 for a category as tabulated in sub-rule (2) shall apply in Form A in duplicate to the Chief Administrator or any other officer authorized by him, in writing, in this behalf through the Secretary in whose jurisdiction he wishes to carry on his business and shall also deposit with such Committee, the requisite licence fee/renewal of licence fee and the security in cash or by bank demand draft or bank pay order or postal order in favour of "Market Committee Fund" with the respective Committee:

Provided that in case .—

(i) a licensee is desirous of conducting business in more than one Market Committee falling in one district then application shall be submitted to District Marketing Enforcement Officer concerned; and

(ii) a licensee is desirous of conducting business in more than one Market Committee falling in one Zone than application shall be submitted to Zonal Marketing Enforcement Officer concerned; and

(iii) a licensee is desirous of conducting business in more than one Market Committee falling in more than one Zone or entire State the application shall be submitted to Chief Administrator Board along with the licence fee/renewal fee as well as security in shape of Demand Draft/pay order in favour of "Marketing Development Fund:

Provided further that a licence to operate in more than one market yard, shall be considered for preferential allotment of a shop plot as per provisions of the Haryana State Agricultural Marketing Board (Sale of Immovable Property) Rules, 2000 by considering the principal place of business of the licensee as business premises:

Provided further that no licensee of Kachha Artia shall be eligible for allotment of more than one shop plot on reserve price throughout the State on the ground that he has a licence in more than one market yard or a licence to operate in more than one market yard.

(2) The licence fee/renewal of licence fee, the security or bank guarantee, if any, for the licence issued under this rule shall be as under:-

Category of licence	Licence fee/renewal fee per annum	Licence fee per quarter or part thereof.	Security	Bank Guarantee
(i) (A)Trader/Wholesale dealer, factory including ginning factory, sheller, flour mill, oil expeller, dal mill/or cold storage for sale, purchase, storage, packaging, sorting, grading, refrigeration of agricultural produce having annual turnover of ₹ 2.00 crores or above.	₹ 10,000/- for entire State or ₹2500/- per zone or ₹ 1000/- for one Market Committee.	₹ 2500/- for entire State or ₹ 625/- per zone or ₹ 250/- for one Market Committee.	Nil	₹10.00 Lakhs for entire State or ₹ 2.50 Lakhs for a Zone or ₹ 1.00 Lakh for one Market Committee.
(B)Trader/Wholesale dealer, factory including ginning factory, sheller, flour mill, oil expeller, dal mill/or cold storage for sale, purchase, storage, packaging, sorting, grading, refrigeration of agricultural produce whose annual turnover is ₹ 12.00 lakhs but does not exceeds ₹ 2.00 crores	₹ 10,000/- for entire State or ₹ 2500/- per zone or ₹1000/- per Market Committee.	₹2500/- for entire State or ₹ 625/- per zone or ₹250/- per Market Committee	₹50,000/- for entire State or ₹ 12,500/- for a Zone or ₹ 5000/- for one Market Committee.	Nil

(ii) Commission agent or Kacha Arhtiya for sale, purchase or storage of agricultural produce.	₹ 600/-	₹150/-	₹ 3000/-	Nil
(iii) Other dealers whose annual turnover of agricultural produce exceeds rupees two lakhs but does not exceed rupees twelve lakhs.	₹ 200/-	₹50/-	₹ 1000/-	Nil

(3) The licence shall be granted / renewed for a maximum period of three years which shall expire on the 31st day of March following the date of issue.

(4) The Secretary of the Committee or District Marketing Enforcement Officer or Zonal Marketing Enforcement Officer concerned, as the case may be, shall on receipt of the application on Form A, forward the case to the Chief Administrator or any other persons authorized by him, in writing, in this behalf within three days after verifying the credentials of the applicant, and he may reject or grant a licence in Form B. The licence shall be subject to the conditions mentioned therein.

(5) A record of the licence issued under this rule shall be maintained by the concerned authority as specified in sub-rule (1) in Form C.

(6) The security or bank guarantee shall be released after three months from the date of closure of the business, on production of the clearance certificate issued by the concerned Zonal Marketing Enforcement Officer in case of a licence issued for the entire State or more than one market committees or by the concerned in case of licence for a particular market committee.

(7) A licensee may apply for the change of the category of the licence at any time by paying the respective licence fee, security or bank guarantee for the licence of the changed category.

17A. Licence for spot exchange- (1) A person desirous of obtaining a licence under section 8C shall apply in Form-A1(A) to the Chief Administrator or any other officer authorized by him, in writing, in this behalf alongwith the licence fee and security, as mentioned in sub-rule (2) in the shape of demand draft or pay order or postal order along with bank guarantee in favour of "Marketing Development Fund". The Chief Administrator or any other officer authorized by him, in writing, in this behalf may reject or grant a licence in Form-B(A) for a period not exceeding five years after verifying the credentials of the applicant. The licence so granted shall be renewable for a period of five years every time on an application on Form FF and payment of fee. A record of licences issued under this rule shall be maintained by the Board in Form CC.

(2) The licence fee, security and bank guarantee for the licence issued under this rule shall be as under:-

Category of licence	Licence fee	Renewal of licence fee	Security or Bank Guarantee
Setting up of Spot exchange for e-trading	₹ 50,000/-	₹ 50,000/-	Security of ₹ 5.00 Lakhs or Bank Guarantee of ₹ 10.00 Lakhs.

Provided further that in case total volume of trade carried out on the spot exchange exceeds ₹ Ten Crores during a month then the licensee shall deposit an irrevocable continuous bank guarantee of ₹ Twenty Lacs with the Chief Administrator.

(3) The licensee shall provide for delivery of agricultural produce backed by a warehousing receipt system. It shall have the system of the well-organized and capitalized brokerage houses, where members/brokers with reasonable capital adequacy can participate. The licensee shall provide for online real time price and trade information dissemination. Any information related to the trade shall be shared online with the market. It shall have transparency in operation and decision making.

The Management running the spot exchange shall be reliable, effective and impartial and also with experience in handling commodities markets. The ownership/management and members/brokers of spot exchange shall be separate persons/bodies.

(4) The licensee shall install trading terminals in the market area for online trading at prominent locations, which are easily accessible to sellers.

(5) The licensee shall provide real time price and trade related information on notified agricultural produce in the market area, District, State and at National level and shall, as far as possible, provide permanent electronic price display board at yards of the Market Committees in the area of its locations.

(6) The licensee shall make arrangement for warehousing, weighment, grading and certification and for sanitary and phyto-sanitary provisions.

(7) The licensee shall ensure delivery of agricultural produce sold by the sellers only after full payment by the buyers.

(8) The licensee of the spot exchange shall be exempted from creation of infrastructure as required for Private Markets. However, facilities as indicated in this rule shall be provided by the Licensee.

(9) The licensee of the spot exchange shall be free to charge membership fee, security deposit, annual subscription, margin money and other charges from their market functionaries other than the agriculturists.

(10) The licensee of the spot exchange shall take physical delivery directly from agriculturist or through designate warehousing receipts as recognized by him.

(11) The licensee of the spot exchange shall guarantee payment on all trading executed in it and for this purpose shall maintain a settlement guarantee fund. The seller shall get full payment on the spot, not withstanding any default on part of buyer.

(12) The prices quoted by the buyer shall be net payable to the seller excluding the market fee, other ancillaries charges etc. The transport cost and other miscellaneous costs delivered at warehouses shall be on the account of buyer and the buyer shall quote only the net payable price to the seller.

(13) The membership of Very Small Aperture Terminal (VSAT) shall be available to all including agriculturists or their groups/cooperative/companies. The membership fee of Very Small Aperture Terminal (VSAT) in respect of the agriculturists or their groups/cooperative if any, shall be fixed by the licensee with the prior approval of the Chief Administrator.

(14) The licensee of the spot exchange may, start grading or marking, as the case may be, from farmers of the area or areas specified in the licence only after receipt of the licence. However, in the event of cancellation of licence owing to failure to implement the project, licensee shall forthwith stop making purchases under the licence.

(15) The Chief Administrator or any other officer authorized by him not below the rank of Secretary shall have power to inspect the spot exchange.

(16) The licensee of the spot exchange shall submit market area wise monthly returns of purchases made from the sellers to the respective committee alongwith consolidated return and pay the market fee on every Monday of the month to the Board. He shall also furnish the sale returns pertaining to processed goods as applicable:

Provided that no market fee shall be levied for the second time in any market area of the State for agricultural produce on which market fee has been levied and collected at the prescribed rate in a spot exchange.

(17) The licensee of the spot exchange shall ensure the payment of sale proceeds to the seller by issuing a sale slip on the day of sale and allow only such allowances and deductions, as are permitted under the

rules, collect market charges as are applicable in the notified market area and maintain such registers and furnish such returns to the Board through Secretary concerned.

(18) A record of licence issued under this rule shall be maintained by the Board in Form C."

6. In the said rules, in rule 18,—

(i) in sub-rule (1), in clause (c), for the existing explanation, the following explanation shall be substituted, namely:-

"Explanation- For the purposes of this clause and clause (b) of sub-rule (2), a person whose turnover of sales and purchase of agricultural produce does not exceed twelve lakh rupees during a year or one lakh rupees during a month shall be treated as a petty shop-keeper.";

(ii) in sub-rule-2, after clause (d) the following clause shall be added; namely :-

"(e) The Farmers Producer Organization sponsored by the Horticulture Department or the Agriculture Department and aggregating and selling the produce of their own members only shall be exempted from the provisions of section 10." .

7. In the said rules, in rule 22, in sub-rule (1), in the existing proviso,—

(i) for the sign "." existing at the end, the sign ":" shall be substituted;

(ii) the following proviso shall be inserted, namely:-

"Provided further a licensee of category-I shall not be granted a licence of Kachcha Artia.".

8. In the said rules, in rule 28, in sub-rule (1), after the words "which tobacco", the sign and word ",timber"shall be inserted.

9. In the said rules, in rule 29.-

(i) for sub-rule (3) occurring twice, the following sub-rule shall be substituted, namely:-

"3 The fees shall be paid to the Committee or officer or to agency duly authorized to receive such payment within seven days of the date of transaction.

3(a) The collection of market fee may be leased or auctioned to any agency by the Committee with the prior approval of the Chief Administrator, for any period not exceeding one year at the time on such terms and conditions as laid down by the Committee. However, it shall be applicable only in case of fruits and vegetables in notified market area.

Explanation- In computing the period of seven days specified in sub-rule (3) of rule 29 and sub-rule (1) of rule 31, the day of transaction shall be included.

Note-I: The payment of fees to any extent shall be deposited by the Licensee in the authorized Bank in the account of the concerned Committee either in cash or through demand draft/pay order payable in favour of Committee Funds' or through Real Time Gross Settlement (RTGS) i.e. online payment subject to the condition that collection charges, if any, shall be borne by the License.

Note-II: In cases where uncounted agricultural produce is detected by the officers of the Board or the Committee, as the case may be, the fees shall have to be paid immediately, and the provisions of payment within seven days shall not apply in such cases.".

10. In the said rules, in rule 30,-

(i) for sub-rule (3), the following sub-rule shall be substituted, namely:-

"(3) The dealer who claims exemption from the payment of market fee leviable on any agricultural produce mission in respect of which the market fee has already been paid in another notified market area, shall make declaration and give certificate to the committee in Form L-I, where the fee has already been paid within fourteen days of the days of bringing of agricultural produce within the notified market area. Form L-I shall be prepared in quadruplicate form the booklets duly attested the issued by the Secretary of the Market against the payment fixed by the Committee. It will be the duty of the dealer claiming exemption from the market fee under this sub-rule to send the original copy of Form L-1 to the committee within whose market area the agricultural produce is brought. The second copy shall be sent to the office of the committee

within whose market area such agricultural produce was bought, and the third and fourth copies shall be retained by the dealer-purchaser and the dealer-seller, respectively and the same shall be kept as a part of their accounts maintained in respect of market fees. It shall be mandatory for the dealers to produce Form L-I within a period of fourteen days to the Secretary, failing which no exemption in paying the market fees shall be granted.

(ii) in sub-rule (5) for existing proviso, the following provisos shall be substituted, namely :-

"Provided that the dealer who claims exemption from the payment of fee leviable on any agricultural produce brought for processing shall make declaration and give certificate to the committee in Form L-II duly attested by the Secretary of the Committee where fee has already been paid, within fourteen days of the bringing of agricultural produce within the notified market area and complies with the provision of sub-rule (2):

Provided further that there shall be no exemption from payment of market fee second time on any agricultural produce brought for processing from outside the State if the Form L-II is not submitted within a period of fourteen days by the dealer/licensee.".

(iii) after sub-rule 6, the following sub-rules shall be added, namely,-

"(7) No market fee shall be levied on fruits and vegetables in respect of which market fee has already been paid in any market within the State:

Provided that the proof of making payment of market fee in any market within the State along with purchase bill, documents relating to transportation is furnished by the dealer to the concerned Committee within whose market area the agricultural produce is brought before it is unloaded. If no such purchase bill, documents relating to transportation is furnished in the office of the concerned Committee before the agricultural produce is unloaded, no claim for exemption shall be entertained.

(8) The agricultural produce brought for job work from within the State or outside the State and for which market fee has already been paid shall be exempted from payment of market fee to the extent already paid in any Committee in the State or outside the State. However, difference of rates of market fee, if any, shall be payable :

Provided that the dealer who claims such credit for market fee already paid on any agricultural produce brought for job work shall make declaration in this regard and give certificate to the committee in Form L-II duly attested by the Secretary of the Committee where fee has already been paid, within, fourteen days of the bringing of agricultural produce within the notified market area and further shall comply with the provision of sub-rule (2) :

Provided further that there shall be no exemption from payment of market fee second time on any agricultural produce brought for job work from outside the State if the Form L-II is not submitted within a period of fourteen days by the dealer/licensee.".

11. In the said rules, for the existing Form A, B and C the following Forms shall be substituted, namely:—

" FORM A

{ See Rule 17 (1)}

Application for grant of licence under section 10

To

The Chief Administrator,

Haryana State Agricultural Marketing Board,

Through Secretary, HSAMB, Panchkula or the Executive Officer-cum-Secretary, Market Committee concerned as the case may be.

Sir,

The particulars of my business are given below:—

1	Name of the applicant with full address		
(i)	Aadhar Number (wherever applicable)		
(ii)	PAN Number		
(iii)	Mobile Number		
(iv)	E-mail address		
2	For a Notified Market Area or prescribed Zones or Entire State in which the applicant wants to carry on business.		
3	Place of business for which licence is applied for (give the name or number of the building and the name or number of the street or other description sufficient to identify the premises) (For licencee of category-II i.e. Kacha Artia/Commission Agent the premises should be within the notified market yard)		
4	If the applicant is a firm, is it a Hindu-Joint Family firm, or otherwise constituted and has it been registered or not?		
5	If the applicant is a firm, give the names of all persons constituted the firm with.		
Sr. No.	Name	Father's/Husband name	Full address
6	Name of Managing Proprietor or Manager of the firm:		
7	Name and style under which the applicant will work:		
8	Has the applicant or, where the applicant is a firm, has any member thereof, single or in collaboration with anybody else, been granted a dealer's licence in any notified market area in the State and has such licence been suspended or cancelled? If so, when, for what period and for what reason?		

9. Category of licence applied for:-

1. (A) Trader/Wholesale dealer, factory including ginning factory, sheller, flour mill, oil expeller, dal mill/or cold storage for sale, purchase, storage, packaging, sorting, grading, refrigeration of agricultural produce having annual turnover of Rs.2.00 crores or above.

   (B) Trader/Wholesale dealer, factory including ginning factory, sheller, flour mill, oil expeller, dal mill/or cold storage for sale, purchase, storage, packaging, sorting, grading, refrigeration of agricultural produce whose annual turnover is Rs.12.00 lakhs but does not exceeds Rs.2.00 crores.

2. Commission agent or Kacha Arhtiya for sale, purchase or storage of agricultural produce.

3. Other dealers whose annual turnover of agricultural produce exceeds rupees two lakhs but does not exceed rupees twelve lakhs.

Certified that the facts set out in the application are true to the best of my knowledge, I understand to abide by provisions of the Haryana Agricultural Produce Markets Act, 1961, rules and bye-laws made there under.

I shall be responsible for all acts of my employees. It is requested that a licence under section 10 of the Haryana Agricultural Produce Markets Act, 1961, may kindly be granted.

Signature of Applicant.

FORM B

{See Rule 17(4)}

Licence under Section 10

This licence is granted to M/s._____ for the notified market area of a Market Committee or Zone or Entire State_____ subject to conditions prescribed hereunder:-

1	Serial number of licence.	
2	Name of Managing Proprietor or Manager of the firm with parentage.	
3	Date from which the licence takes effect.	
4	Date on which the licence expires.	
5	Category of licence granted	(i). (A) Trader/Wholesale dealer, factory including ginning factory, sheller, flour mill, oil expeller, dal mill/or cold storage for sale, purchase, storage, packaging, sorting, grading, refrigeration of agricultural produce having annual turnover of Rs.2.00 crores or above or (B) Trader/Wholesale dealer, factory including ginning factory, sheller, flour mill, oil expeller, dal mill/or cold storage for sale, purchase, storage, packaging, sorting, grading, refrigeration of agricultural produce whose annual turnover is Rs.12.00 lakhs but does not exceeds Rs.2.00 crores or (ii) Commission agent or Kacha Arhtiya for sale, purchase or storage of agricultural produce or (iii) Other dealers whose annual turnover of agricultural produce exceeds rupees two lakhs but does not exceed rupees twelve lakhs.
6	Notified Market Area of Market Committee or Prescribed Zone or Entire State in which the Licence is valid.	
7	Place of business.	

Place: Chief Administrator,

Date: Haryana State Agricultural Marketing Board.

Conditions of licence:

1. The licensee shall comply with the provisions of the Haryana Agricultural Produce Markets Act, 1961, rules and bye-laws framed there under and instructions issued from time to time.
2. He shall not permit evasion or infringement of any of the provisions of the Act, the rules and by-laws and shall report in writing to the Market Committee any evasion or breach which comes to his knowledge.

3. He shall surrender his licence, on demand, to the Chief Administrator of the Board or any other officer authorized by him in this behalf or the Chairman of the Market Committee against a receipt to be given to the licensee in this connection.
4. He shall conduct his business honestly and properly according to the principles of fair dealings.
5. He shall display his licence at a conspicuous place on his business premises.
6. He shall keep his business premises clean and in a suitable condition for storage of agricultural produce.
7. He shall not boycott or encourage boycott of any other licensee.
8. He shall not indulge in activities and practices, which are detrimental to the interest of the trade and proper functioning of the market.
9. He shall not take or continue in his service any licenced broker, weighman, measurer, surveyor or palledar.
10. He shall be responsible for the safe custody and protection of the agricultural produce brought to his shop for sale or storage.
11. He shall not form a pool or combination with other buyer for eliminating competition and shall not make or abet an attempt to do so in order to deprive the seller of a fair price of his produce.
12. He shall, on the expiry or sooner termination of the licence, surrender the same to the Committee.
13. He shall, when desired by the Market Committee or any other officer authorized by it, furnish correct information on the matters pertaining to his business relating to sale and purchase of agricultural produce under the Act.
14. The security shall be liable to be forfeited in part or in full by the licencing authority in case the licensee makes a breach of any condition of the licence.

FORM C

{ See Rules 17 (5) and 19 (3)}

Register of licences issued under Section 10/13

S.No.	Description	
1	Notified market area	
2	Name of the firm	
3	Address of the premises	
4	Name of the Managing Proprietor	
5	Licence No.	
6	Nature of licence	
7	Name of partner	

S.No.	Name	Father's Name	Address
1			

1	2	3	4	5	6	7
Date of entry	Date from which the licence takes effect	Date on which the licence expires	Licence fee received	Receipt No. & date	Signature of issuing authority with designation	Remarks

FORM AI(A)

{See Rule 17A(1)}

APPLICATION FOR GRANT OF LICENCE FOR SPOT EXCHANGE

To

The Chief Administrator,

Haryana State Agricultural Marketing Board,

Panchkula.

I/We (Name)……..

(Address)……

(Phone No)…… Aadhar No……...E-mail address……...am/are making an application for the grant of licence for Spot Exchange for e-trading for following notified agricultural produce …… in the State. The necessary documents as required are enclosed. _____ am/are ready and willing to pay the necessary licence fee of Rs. ……. as per Rules for obtaining the above mentioned Licence. You are requested to grant me the Licence.

Yours faithfully,

Signature of the Applicant

Documents submitted with this application:-

(i) Certificate of Incorporation or Registration in respect of Company, Co-operative Society, Trust, Corporation,Partnership, etc.

(ii) Memorandum of Association or Articles of Association.

(iii) Names and Address and Telephone number of all the Directors and owners and partners, etc.

(iv) Receipt in support of having paid the licence fee.

(v) Operational and working guidelines as to how Spot Exchange shall be run or operated.

(vi) Undertaking/Affidavit that the applicant shall abide by all the provisions of the Act and Rules made there under and in case of violation he shall be liable to punitive action including cancellation of licence.

(vii) A Bank Guarantee as provided in Rule 17A (2).

(viii) Income tax return.

(ix) Authenticated copy of letter of permanent recognition granted by concerned authority.

Date:

Place:

Signature of the Applicant.

FORM-B(A)

{See Rule 17A(1)}

LICENCE FOR SPOT EXCHANGE

Licence is hereby granted to ……..(Name and Address)…… (Phone number……. hereinafter referred to as the Licensee) on payment of fee of Rs……. for Spot Exchange for e-trading of agricultural produce in the Market area of Market Committee_____, subject to the provisions of the Rule 17A of Punjab Agricultural Produce Markets (General) Rules, 1962 on the following conditions:

1. The Licensee shall abide by the provisions of the Haryana Agricultural Produce Markets Act, 1961 and Rules and the conditions of agreement entered into by the licensee with the Chief Administrator.
2. This Licence is not transferable.
3. This Licence may be suspended or cancelled in accordance with the provisions of the said Act and Rules made there under if the Licence holder commits any act against the provisions of the Act and Rules or abstains from carrying out his normal business in the market with the intension of willfully obstructing, suspending or stopping the marketing of agricultural produce in the market area.
4. In the event of suspension or cancellation of this Licence, it shall be surrendered to the Chief Administrator forthwith.
5. The Licensee shall not adulterate or cause any declared agricultural produce to be adulterated.
6. The Licensee shall assist the Chief Administrator in preventing evasion of market fees.
7. The Licensee, after grant of licence by the Chief Administrator, shall within a period of fifteen days inform about the authorized representative of the Licensee who shall be responsible on his behalf.
8. The Licensee shall maintain books, registers and records in the manner, required by the Chief Administrator and shall make them available for inspection to the Chief Administrator or person authorized by him.
9. The Licensee shall furnish information and returns to the Chief Administrator as may be required by him from time to time.
10. The Licensee shall ensure payment to the seller the price of the agricultural produce so sold on the same day.
11. The licensee shall not solicit or receive any fees or recover any charges other than those which he is entitled to receive or recover in accordance with the provisions of the Act and the Rules.
12. The Licensee shall not make or recover any trade allowance. (It is related to 2nd proviso under (m) of Rule 17A.)
13. The Licensee shall provide for authorized weights and measures.
14. The Licensee shall pay to the licensed weighman or measurer and hamals only at the rates fixed by the Board/Market Committee.
15. The Licensee shall inform the Chief Administrator of any change in the constitution of the Company.
16. The Licensee shall refer all his disputes in relation to the marketing of the notified agricultural produce in the manner provided under Section 8C (8) of the Haryana Agricultural Produce Markets Act, 1961.
17. The Licensee shall provide electronic Inter Board/Terminal at prominent place in the market to show the futures/spot prices daily.

Date :

Place:

Chief Administrator.

Form FF

[See rule 17A(1)]

APPLICATION FORM FOR THE RENEWAL OF LICENCE OF SPOT EXCHANGE

To

The Chief Administrator,
Haryana State Agricultural Marketing Board,
Panchkula

Sir,

I request for the renewal of my Licence. The necessary particulars are given below:-

Particulars of the Spot Exchange for which the Licence has been issued	
Name of the applicant (with full particulars of the place of market yard)	
No. of Licence	
Date on which the Licence expires	
Period for which renewal is required	
Fee paid	Rs.
Penalty paid, if any,	
Has the applicant (S) or where the applicant is a firm, has any member thereof singly or in collaboration with any body else, been	
(a) Granted any Licence in any other market area and his Licence has been suspended or cancelled. If so, when, where, for what period and for what reasons; OR	
(b) Convicted of any offence involving moral turpitude. If so, the date of Conviction; OR	
(c) Declared as an undercharged insolvent	
Defaulter of not paying the dues to the Market Committee/ Board	

I am enclosing a demand draft No …….. dated …… Amounting to Rs ……. on account of renewal fee.

The particulars given above are true and correct to the best of my knowledge and belief.

Date ……..

Signature of the applicant.

Renewal of Licence

Date of Renewal	Period for which renewed	Signature of Chief Administrator with date

Form CC

[See Rule 17A(1)]

REGISTER OF LICENCE HOLDERS OF SPOT EXCHANGE

Sr. No.	Name and Address of Applicant	Date of Receipt of Applicant for Licence.	Type of Licence and Date of issuance.	Market area(S).	Licence fee Rs.	Licence No. and Date.	Validity of Licence	Remarks and Signature
1	2	3	4	5	6	7	8	9

12. In the said rules, for forms I, J and K, the following Forms shall be respectively substituted, namely:-

FORM I

{See Rule 24(12) and 24(13)}

Bill of Kacha Arhtiya

Book Number_____ Serial Number_____

Name of Market Committee: _____

Name of Kacha Arhtiya: _____

Name of buyer _____ Date_____

Name of commodity	Weight (in quintal kilogram)	Rate (@ rupees per quintal)	Total amount	Market charges	Bonus	Grand total
		Rs.	Rs.	Rs. Commission___ Brokerage_____ Palledari_____ Filling and sewing charges____ Other charges____	Rs.	Rs.

Signature of Kacha Arhtiya.

FORM J

{See Rule 24(14)}

Sale Voucher for the seller

Book Number_____ Serial Number_____

Name of Market Committee: _____

Date of auction: _____

Name of Kacha Arhtiya: _____

Address of the seller: _____

Name of seller _____

Name of commodity	Name of buyer	Weight (in Quintal kilogram)	Rate (@ rupees per quintal)	Incidental charges	Bonus	Net amount paid
			Rs._____	Rs._____	Rs._____	Rs._____

Note:- Where the agricultural produce, being vegetable or fruit, is delivered, it shall not be necessary to fill in column 2 relating to 'Name of Buyer'.

Left thumb impression (LTI)/

Signature of farmer, his agent Signature of Kacha Arhtiya.

FORM M

{See Rule 31(1)}

Return of Agricultural Produce daily brought, sold or brought for processing

Name of Market Committee: _____

Date: _____

Name of Dealer: _____ Licence Number: _____

Last date when market fee paid with receipt number: _____

Purchased										Sold					
Date of transaction	Name of commodity	Name of seller from whom purchased	Weight (in quintal kilogram)	Rate (@Rs. Per quintal)	Value	Whether fee is leivable, if not why?	Amount of fee leviable	Name of buyer to whom sold	Weight (in quintal kilogram)	Rate (Rs. Per quintal)	Value	Whether fee is leivable, if not why?	Amount of fee leviable	Bonus	Remarks
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

Total _____

Note:- In the case of dealers dealing exclusively in vegetable or fruit, it shall not be necessary to fill in column 7 relating

to 'Name of buyer' to whom sold.

Signature of Dealer."

V. S. KUNDU,
Additional Chief Secretary to Government Haryana,
Agriculture Department.

54270—C.S.—H.G.P., Chd.